




2-21/212

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (राज)

चार्जना-पत्र सं.	घास अंतर्गत	शाम	तारीख
91 / 21	212 RTA	आफेंती	बारा
घादी	काद शीर्षक	प्रतिवादी	
रघुनाथ	बनाय	बनारसनाथ वगैरे	

वकील :- श्री योगेश गुर्जर आदेश पत्रक वालीक-
 दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विधि संदर्भ

27.12.2021	अभिभाषक प्राणी द्वारा चार्जना पत्र अन्तर्गत घास 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्राणी के न्यायाधी में पेश किया गया। सिमोर्ट सफिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राणी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.02.2022 को पेश हो।
7-2-22	पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में रहने से पूर्ववत दिनांक 11-4-22 को प्रस्तुत हो। <div style="text-align: center;">  सीडर नप खण्ड अधिकारी बारा </div>
11-4-22	पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में रहने से पूर्ववत दिनांक 23-5-22 को प्रस्तुत हो। <div style="text-align: center;">  सीडर नप खण्ड अधिकारी बारा </div>
23/5/22	पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में रहने से पूर्ववत दिनांक 11/7/22 को प्रस्तुत हो। <div style="text-align: center;">  सीडर नप खण्ड अधिकारी बारा </div>
11-7-22	पत्रावली पेश की गई वही कहुलाप करिके का जमान ज-पत्र पेश की उका समय माहने ध पत्रावली वापिस जमान सिमोर्ट 13-9-22 को पेश हो।
13-9-22	पत्रावली पेश की व सुनना फरीलिन उपा/जमान पा 0 पत्र पेश नहीं हुआ सिमोर्ट चाहे ही पत्रावली वापिस जमान पा 0 पत्र दिनांक 15/11/22 को पेश हो।

